न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी – श्री पी आर मीना ,आर ए एस
अपील संख्या– आरटीए/51/2025

उनवान

1. रामस्वरूप शाह पिता जमनालाल शाह निवासी चांदरास तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा। अपीलार्थी

बनाम

1. चुन्नीलाल दत्तक पुत्र प्रताप बलाई निवासी सोजी का खेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा।
2. राजस्थान राज्य तहसीलदार करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा।

रेस्पोडेण्टस

अपील विरूद्व आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, करेड़ा के प्रकरण संख्या 384/2023 निर्णय दिनांक 13.01.2025

अभिभाषक : **1. श्री भैरूलाल बापना, अपीलार्थी**
2.श्री मुकेश जैन अधिवक्ता प्रत्यर्थी

आदेश

दिनांक 11.02.2026

1. **अपीलाधीन मामले के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 /प्रार्थीया ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी संख्या 471 रकबा 0.3162 है0 आराजी संख्या 473 रकबा 0.1138 है0 भूमि ग्राम चान्दरास, पटवार क्षेत्र चान्दरास तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा स्थित है। उक्त आराजी यात में आने जाने का एकमात्र कदीमी रास्ता आराजी संख्या 423 गै0मु0 रास्ता चान्दरास बेमाली रोड़ से होकर आराजी नंबर 2918/496 की उत्तरी मेड के सहारे–सहारे होते हुए नजरी नक्शे में दर्शित रास्ते से होकर प्रार्थी अपनी आराजी नंबर 471 में सैंदेव से आते जाते है। प्रार्थी की उपरोक्त आराजीयात मे आने जाने का एकमात्र रास्ता उपरोक्त रास्ता ही है, इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थी अपनी उक्त आराजियात मे सदैव से उक्त रास्ते से होकर ही अपने कृषि उपकरणों संज बैल ट्रैक्टर सहित आ–जा रहे है लेकिन उक्त रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं होने से विपक्षी की नियत में फितूर उत्पन्न हो गया है और वे आये दिन**

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

रास्ते में अवरोध पैरा कर रहे हैं व दिनांक 14.7.2023 को भी आने–जाने में बाधा उत्पन्न की । उक्त वादग्रस्त रास्ते की प्रार्थी को आत्यंतिक आवश्यकता है एवं उक्त वादग्रस्त रास्ते के अलावा प्रार्थी को उनकी भूमि में आने–जाने हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है, इसलिए मुझ खातेदार प्रार्थी का आवेदन किया जाकर आराजी नम्बर 2918/496 की उत्तरी मेड के सहारे–सहारे नजरी नक्शे अनुसार 20 फिट चौडाई का नया रास्ता कायम करने की स्वीकृति प्रदान किया जाना आवश्यक है।

2. अतः निवेदन है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए की उपधारा (1) के अधीन प्रार्थी की कृषि भूमि आराजी संख्या 471 रकबा 0.3162 है0 आराजी संख्या 473 रकबा 0.1138 है0 भूमि जो कि ग्राम चान्दरास, पटवार क्षेत्र चान्दरास तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा में स्थित है। जिस पर आने जाने के लिए 20 फिट का रास्ता आराजी नम्बर 2918/496 की उत्तरी मेड के सहारे सहारे राजस्व रेकार्ड जमाबंदी एवं नक्शे में दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया जावे। प्रार्थी नियमानुसार मुआवजा राशि जमा कराने के लिए तत्पर है।

3. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13.1.2025 द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया, जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

4. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई एव उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

5. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने अपील मेमो में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि

6. उभयपक्ष के अधिवक्तागण का कथन रहा है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय में प्रत्यर्थी संख्या 1/प्रार्थी के आवेदन अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को स्वीकार कर 16.5 फिट (साढे सोलह फिट) चौडा रास्ता दिये जाने का आदेश पारित किया । उसे कम किया जाकर 12 फिट चौडा रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जावे। इस बाबत उभयपक्ष के अधिवक्तागण ने आदेशिका पर सहमति स्वरूप हस्ताक्षर किये है।

7. चूंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में साढे सोलह फिट का रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने का जो आदेश

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

पारित किया है। न्यायालय हाजा के समक्ष उभयपक्ष के अधिवक्तागण ने अपीलाधीन द्वारा दिये गये साढे सोलह फिट रास्ते के बजाय 12 फिट चौडा रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने का निवेदन किया है। सहमति स्वरूप दोनों अधिवक्तागण ने अपने हस्ताक्षर भी किये है।

8. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, राजस्व रेकार्ड का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया । पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्याालय की पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड एवं निर्णय का मिलान एवं अध्ययन किया गया । बहस पर कथन किये गये बिन्दुओं का मनन किया गया । वक्त बहस दोनों पक्षों द्वारा सहमति का कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय में पारित निर्णय में रास्ते की चौडाई साढे सोलह फिट रास्ता दिया गया है। उसे 12 फिट कर दिया जाये एवं तदनुसार गणना की जाकर प्रकरण का निस्तारण कर दिया जावे।

आदेश

9. अतः आपसी सहमति के बिन्दु पर अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.1.2025 में आंशिक परिवर्तन रास्ते की चौडाई साढे सोलह फिट की जगह 12 फिट की जाती है। तदनुसार राशि की गणना कर संशोधित आदेश पारित किया जावे।

10. निर्णय आज दिनांक 11.2.2026 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(पी आर मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा